निर्णय व इजलास डॉ॰ जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या : 157/2025 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

1. शंकर सैनी पुत्र श्री सुरेश सैनी
2. बनवारी लाल पुत्र श्री सुरेश सैनी
3. सुशील सैनी पुत्र श्री सुरेश सैनी

समस्त जाति माली, निवासी मु॰ पो॰ चौमू, तहसील चौमू, जिला, जयपुर।

प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री दिलीप सिंह आर॰ए॰एस॰ उपखण्ड अधिकारी चौमू, जिला जयपुर ।
2. श्रीमती नाथी देवी पत्नी स्व॰ श्री राधाकिशन जाति माली
3. सुरेश सैनी पुत्र स्व॰ श्री राधाकिशन सैनी
4. रामपाल पुत्र स्व॰ श्री राधाकिशन सैनी
5. सुवा लाल पुत्र स्व॰ श्री राधाकिशन सैनी
6. राजू पुत्र सुवा लाल
7. नरेन्द्र पुत्र सुवा लाल
8. शिम्भू पुत्र सुवा लाल
9. मुकेश पुत्र सुवा लाल
10. कल्याण सहाय पुत्र सूजाराम
11. कैलाश पुत्र काना
12. कैलाश पुत्र. नारायण लाल

समस्त जाति माली, निवासी चौमू, तहसील चौमू जिला जयपुर।

13. गोविन्दराम पुत्र चन्दाराम जाति जाट निवासी हाथनोदा, तहसील चौमू, जिला जयपुर ।
14. छोटू पुत्र मांग्या जाति माली
15. नन्छूराम पुत्र सूगला राम जाति जाट
16. नन्छी देवी पत्नी काना जाति माली
17. नाथू पुत्र बद्री जाति माली
18. नाथूराम पुत्र बालू जाति माली
19. नाथूराम पुत्र काना जाति माली
20. नारायण पुत्र बालूराम
21. प्रेम देवी पुत्री काना
22. बाबूलाल पुत्र काना
23. मुन्नी देवी पत्नी हनुमान सहाय जाति बागडा ब्राह्मण
24. महादेव पुत्र मांग्या
25. राधेश्याम पुत्र काना
26. रामलाल पुत्र काना

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

27. संतोष पुत्री काना
28. संतोष देवी पत्नी नाथूराम
29. सूरज नारायण पुत्र मांगीलाल
30. सूवालाल पूत्र काना
31. सीताराम पुत्र नारायण लाल
32. हनुमान पुत्र मांग्या

समस्त जाति माली, निवासी चौमू, तहसील चौमू, जिला जयपुर ।

33. किशना पुत्र धन्ना
34. गोमा पुत्र जादू
35. छोटू पुत्र मांग्या,
36. लाली पुत्री बद्री

समस्त जाति माली, निवासी चौमू, तहसील चौमू जिला जयपुर ।

अप्रार्थीगण

स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व उपखण्ड अधिकारी चौमू जिला जयपुर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 61/2021 ब उनवानी शंकर बनाम नाथी व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने बाबत।

उपस्थितः–

1. श्री राकेश शेखावत अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री सुशील कुमार यादव अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से ।

निर्णय **दिनांक 24.03.2025.**

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी चौमू के समक्ष प्रकरण संख्या 61/2021 ब उनवानी शंकर बनाम नाथी व अन्य विचाराधीन है जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी चौमू से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री सुशील कुमार यादव ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया ।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. प्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थीगण द्वारा उपखण्ड अधिकारी चौमू जिला जयपुर के समक्ष प्रस्तुत उक्त उनवानी प्रकरण में प्रार्थीगण के पक्ष में दिनांक 09.07.2021 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत वादग्रस्त

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

सम्पत्ति पारित किया गया जिसके विरुद्ध अप्रार्थीगण द्वारा एक अपील राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर के समक्ष उनवानी नाथी देवी बनाम शंकर सैनी प्रस्तुत किया गया जिसमें प्रार्थीगण के पक्ष में पारित अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश को अपास्त किया गया जिसके उपरान्त प्रार्थीगण द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जयपुर पीठ के समक्ष एक सिविल रिट पीटीशन नम्बर 17284/2024 उनवानी शंकर लाल व अन्य बनाम नाथी देवी व अन्य प्रस्तुत की गई जिसमें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 05.11.2024 को प्रार्थीगण की रिट ग्रहण करते हुये वादग्रस्त आराजीयात के बाबत स्टेट्स को आदेश पारित किया गया जिसके उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौमू के न्यायालय में उपरोक्त प्रकरण में दिनांक 12.02.2025 तारीख पेशी नियत की गई जिस पर अप्रार्थीगण द्वारा जल्द सुनवाई का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बिना प्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिये जल्द सुनवाई का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया तथा प्रकरण में विशेष रूप से एक–एक, दो–दो दिन की तारीख पेशी दी जाकर प्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात कारित किया जा रहा है तथा अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण को धमकी दी गई कि वे माननीय उच्च न्यायालय के स्टे आदेश में ही प्रकरण को खारिज करवा देंगे। दिनांक 01.02.2025 को अप्रार्थीगण द्वारा ग्राम के मौजीज व्यक्तियों को कहा गया कि हमारी अप्रार्थी संख्या 1 से बाचतीच हो गई है तो हमने प्रार्थीगण द्वारा ले रखे अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश को खारिज करवाने हेतु प्रार्थना पत्र भी बिना तारीख पेशी से पूर्व ही न्यायालय पेश कर दिया है तथा अतिशिघ्र प्रार्थना पत्र को खारिज करवा देंगे। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थीगण के प्रभाव में आपने सम्मुख प्रस्तुत प्रकरण उक्त अप्रार्थीगण को लाभ पहुंचाने की नियत से प्रार्थीगण के हितों के विपरीत सुनवाई किये जाने के मध्य नजर प्रार्थीगण को अप्रार्थी संख्या 1 से न्याय की कोई उम्मीद ना होने के कारण उक्त प्रकरण को अतिशीघ्र ही प्रार्थीगण के हितों के विपरीत तथा अप्रार्थीगण के हित में निस्तारित कर देंगे जिस कारण उक्त प्रार्थना पत्र को अप्रार्थी संख्या 1 के न्यायालय से अन्यत्र न्यायालय में हस्तान्तरित किया जाना आवश्यक है। अतः उक्त उनवानी प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी संख्या 2 के अधिवक्ता ने प्रार्थी के तर्को का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि प्रार्थी येनकेन प्रकारेण प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब करना चाहता है। इस कारण प्रार्थी ने काल्पनिक एवं मनघढन्त आरोप लगाते हुये यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है। जबकि पीठासीन अधिकारी द्वारा विधि अनुसार कार्यवाही की जा रही है। अतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र को खारिज फरमावें।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. अधीनस्थ पीठासीन अधिकारी ने अपनी टिप्पणी में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों का खण्डन किया है। प्रार्थी ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों के समर्थन में कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है। प्रार्थी ने केवल कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो सही नहीं है। उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

पत्रावली का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि [illegible] पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है जिससे प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय में [illegible] किया जावे। [illegible] द्वारा [illegible] आवेदन पत्र में लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप [illegible] आवेदन पत्र खारिज किया जाता है।

4. निर्णय की प्रति सम्बन्धित [illegible] अधिकारी [illegible] को प्रेषित हो। पत्रावली [illegible] से [illegible] हो कर [illegible] हो।

5. निर्णय आज दिनांक [illegible] को मेरे हस्ताक्षर [illegible] गया।

(डॉ. [illegible] कुमार [illegible])
जिला कलेक्टर,
जयपुर